

पोषक तत्त्वों पर आधारित उर्वरक सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2019-20 के लिए फॉस्फोरस और पोटैश उर्वरकों के लिये पोषण आधारित सब्सिडी (NBS) दरों के निर्धारण हेतु उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बट्टि

- NBS में अनुमोदित दरें नाइट्रोजन के लिये 18.90 रुपए प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस के लिये 15.21 रुपए प्रति किलोग्राम, पोटैश के लिये 11.12 रुपए प्रति किलोग्राम और सल्फर के लिये 3.56 रुपए प्रति किलोग्राम होंगी।
- इससे वनिरिमाता और आयातक उर्वरकों और उर्वरक सामग्रियों के लिये आपूर्ति अनुबंध देने में और वर्ष 2019-20 के दौरान किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने में समर्थ होंगे।
- पोटैश और फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों पर वर्ष 2019-20 के दौरान सब्सिडी जारी करने के लिये अनुमानित व्यय 22875.50 करोड़ रुपए होगा।
- सरकार उर्वरक वनिरिमाताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक, यूरिया और 21 ग्रेड के पोटैश और फॉस्फोरस उर्वरक उपलब्ध कराती है।
- पोटैश और फॉस्फोरस उर्वरकों पर सब्सिडी 4 अप्रैल, 2010 से प्रभावी NBS योजना द्वारा नयितरति की गई है।

पोषक तत्त्वों पर आधारित सब्सिडी (NBS) योजना

- यह योजना उर्वरक और रसायन मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा अप्रैल 2010 से लागू की जा रही है।
- NBS के तहत वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नश्चिती राशा सब्सिडी वाले फॉस्फेट और पोटैश आधारित उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उसके पोषक तत्त्व के आधार पर प्रदान की जाती है।

स्रोत: PIB